

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के रक्षित कोटे में पदोन्नति

1965. श्री मोलहू प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में गृह-कार्य मंत्रालय के दिनांक 11 जुलाई, 1968 के पत्र संख्या 1/12/67 इस्टैब्लिशमेंट (सी) के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए आरक्षित कोटे में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, स्नातकोत्तर अध्यापक, उप-प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षा अधिकारी, वैज्ञानिक सलाहकार, वैज्ञानिक परामर्शदाता के पदों में पदोन्नति की गई ;

(ख) यदि हां, तो उसका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भवत बर्षान) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलना

1966. श्री मोलहू प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह कार्य मंत्रालय के दिनांक 28 जनवरी, 1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/1/69 एस्टैब्लिशमेंट (एस०सी० टी०) के अनुसार आरक्षित पदों को सामान्य पदों में बदलने के लिए गृह मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यालय ज्ञापन उपबन्धों के अनुसार वर्ष 1968-69 में मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को अनुमोदनार्थ ऐसे कितने मामले भेजे गये तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी०के० आर० बी० राव) : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन में स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का रक्षित कोटा

1967. श्री मोलहू प्रसाद : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून/जुलाई, 1969 में दिल्ली प्रशासन के हिन्दी निदेशालय द्वारा स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों के लिए इण्टरव्यू लिए गये थे ;

(ख) स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों पर विषयवार इण्टरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों के नाम और पते क्या थे ;

(ग) कुल उम्मीदवारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की विषयवार कुल संख्या कितनी थी और उनके द्वारा इण्टरव्यू में अंकों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की विषयवार स्नातकोत्तर अध्यापकों के पदों में आरक्षण कोटा पूरा हो गया है ; और